

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (राज0)

क्रमांक: 225 / स्था0

दिनांक: 29 जून, 2026

: : आ दे श : :

सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश-06 में वर्णित नियमों के अन्तर्गत इस न्यायक्षेत्र के मुख्यालय **बानसूर** पर स्थित न्यायिक न्यायालयों के लिए **बालाजी फोटो एवं फोटो स्टेट, बानसूर** को फोटो स्टेट प्रतियों का कार्य करने हेतु अग्रलिखित शर्तों के आधार पर दिनांक 30.06.2027 तक के लिए नियुक्त/अधिकृत किया जाता है। फोटोस्टेट प्रतियों के लिए नियमानुसार प्रभार प्रथम प्रतिलिपि के लिए 1.70 रुपये प्रति पृष्ठ, प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिलिपि के लिए 1.30 रुपये प्रति पृष्ठ तथा नक्शा-नील चित्र के सामान्य साईज/बड़ी साईज की फोटो प्रति के लिए 09.50 रुपये प्रति पृष्ठ होगा। उक्त प्रभार की राशि में से फोटोस्टेट कॉपीयर के द्वारा तैयार की गई फुल स्कैप/सामान्य फोटो कॉपी की प्रथम प्रति के लिए 1.70 रुपये, द्वितीय एवं इससे अधिक प्रतिलिपि के लिए 1.30 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क के प्रभार की राशि संदत्त की जावेगी तथा सम्बन्धित फर्म से उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिलिपि स्टाम्प शुल्क सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी) 2018 के आदेश 6 नियम 5 (ग) के अनुसार आवेदक यदि निःशुल्क प्रति पाने का अधिकारी नहीं है तो प्रतिलिपि शाखा से जारी की जाने वाली प्रतिलिपियों हेतु प्रतिलिपि स्टाम्प 1.50 रुपये प्रति पृष्ठ तथा अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय प्रति पर 1.00 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क के रूप में लिया जावेगा जिसे नकद राजकोष में जमा कराया जावेगा एवं यदि प्रतिलिपि शुल्क (टिकट) पेश किये जाते हैं तो उपरोक्त दरों अनुसार जारी प्रतिलिपियों पर टिकट चस्पा किया जावेगा।

उक्त रसीद के आधार पर फोटो स्टेट रोकड़ बही (रजिस्टर संख्या-204) में प्रभार के संदेय की आवश्यक प्रविष्टि की जायेगी तथा प्राक्कलन के अनुसार जमा किए गए रोकड़ में से शेष राशि के सम्बन्ध में विवरण तैयार करते हुए मुख्य प्रतिलिपिक उक्त राशि को शीर्ष मद-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में जमा कराने हेतु खजांची को अविलम्ब सुपुर्द करेगा।

फोटो कॉपीयर्स के लिए आवश्यक शर्तें :-

1. फोटो स्टेट प्रतियां जो तैयार की जायेगी उनका पेपर व फोटोस्टेट का प्रिंट निविदा के संलग्न नमूना के अनुरूप होगा एवं फोटो स्टेट प्रतियां स्वच्छ एवं सुपाठ्य होगी। प्रभारी अधिकारी/सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत धूंधली व अपठनीय प्रतियों का व्यय स्वयं फोटो कॉपीयर द्वारा वहन किया जायेगा।
2. फोटो कॉपीयर निर्धारित दर से अधिक राशि का दावा नहीं करेगा।
3. नियुक्त फोटो कॉपीयर को न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार करना होगा कि जिन अभिलेखों की वह फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करेगा उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं देगा अर्थात् समस्त कार्य में गोपनीयता बरती जायेगी।
4. अधिकृत निविदाकार फोटो कॉपीयर्स से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि निविदा अवधि में फोटो स्टेट का कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस की अवधि में नियमानुसार रुपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र) बतौर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मुख्यालय पर अधिकृत प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि शाखा को जमा करवा देगा एवं निविदा की शर्त भंग हाने की दशा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

नोट:- फोटो कॉपीयर्स का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

S.A
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली(राज0)

2911-2917

क्रमांक:-----/स्था0

दिनांक 29 जून, 2026

प्रतिलिपि अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि शाखा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर।
2. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर।
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बानसूर।
5. बालाजी फोटो एवं फोटो स्टेट, बानसूर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, कोटपूतली (राज0) को इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड एवं सम्बन्धित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली।

29.6.26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली (राज0)